भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 849

(दिनांक 04.02.2026 को उत्तर देने के लिए)

क्षेत्रीय समाचार चैनलों द्वारा टीआरपी हेरफेर की जांच की स्थिति

849. श्री के. सुधाकरनः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को केरल के पुलिस महानिदेशक से एक बीएआरसी कर्मचारी और केरल के एक क्षेत्रीय समाचार चैनल से जुड़े कथित टीआरपी हेरफेर घोटाले की जांच के संबंध में मांगी गई प्रारंभिक रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हाँ, तो केरल पुलिस की जांच के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस मामले में शामिल अपने वरिष्ठ कर्मियों के आचरण की जांच के लिए बीएआरसी इंडिया द्वारा एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से शुरू किए गए फॉरेंसिक ऑडिट की स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार ने धोखाधड़ी के आरोपों की गंभीरता को देखते हुए टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के लिए नीति दिशानिर्देश, 2014 के तहत संबंधित चैनल की अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग अनुमतियों को निलंबित या रद्द करने के लिए कोई कार्यवाही शुरू की है; और

(ङ) भविष्य में ऐसी प्रणालीगत खामियों को रोकने के लिए टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के लिए नीति दिशानिर्देशों में संशोधन की अंतिम अधिसूचना के लिए समय-सीमा क्या है, जिसके लिए 6 नवंबर, 2025 को एक संशोधित मसौदा प्रकाशित किया गया था?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (ङ): मंत्रालय ने हाल ही में आई मीडिया रिपोर्टों का संज्ञान लिया है जिनमें आरोप लगाया गया है कि एक टेलीविजन चैनल मैसर्स ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (बीएआरसी) इंडिया के एक कर्मचारी को रिश्वत देकर टेलीविजन रेटिंग में हेरफेर करने में संलग्न था।

आरोपों के मद्देनजर, केरल पुलिस के डीजीपी से इस मामले में कथित तौर पर दर्ज प्राथमिकी पर की गई कार्रवाई के विवरण सहित एक प्रारंभिक रिपोर्ट मांगी गई थी। यह रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

केरल पुलिस विभाग ने मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। बीएआरसी ने सरकार को सूचित किया कि उसने फोरेंसिक जांच प्रारंभ कर दी है। बीएआरसी से रिपोर्ट अभी तक प्रतीक्षित है।

अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग अनुमतियां दिनांक 09.11.2022 की टेलीविजन चैनलों के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए नीति दिशानिर्देशों द्वारा शासित होती हैं।

भारत में टेलीविजन रेटिंग टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के लिए नीतिगत दिशानिर्देश, 2014 के अंतर्गत शासित होती है। दिनांक 02.07.2025 को, सरकार ने सार्वजनिक परामर्श के लिए इन दिशानिर्देशों में संशोधन का एक मसौदा प्रकाशित किया। प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को सक्षम करना, अधिक सटीक और प्रतिनिधिक आकड़ें उत्पन्न करना और यह सुनिश्चित करना है कि टीआरपी प्रणाली देश भर के दर्शकों की विविध और विकसित मीडिया उपभोग की आदतों को प्रतिबिंबित करें। प्राप्त सुझावों की जांच करने के पश्चात, सार्वजनिक परामर्श के लिए दिनांक 06.11.2025 को एक संशोधित मसौदा संशोधन प्रकाशित किया गया है।
